कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 3969 /14–1 दिनांक, हरदोई, 27/06/ ,2016।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक (विपणन सेवाये)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
भौती डिपो कालपी रोड,
कानपुर नगर।

विषयः– **जनपद हरदोई के अर्न्तगत पलिया–लखनऊ राजमार्ग सं0–25 के कि0मी0 157–158 के मध्य दायी पटरी पर स्थित ग्राम–कुरिया परगना गोपामऊ तहसील–हरदोई मे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के पिट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग मे प्रभावित 0.08176 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव 05 वृक्षो के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन, लखनऊ की पत्र सं0–पी–33/14–2–2016–800 (31)/2016 वन एंव वन्य जीव अनुभाग–2दिनॉक–26–05–2016।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे इस कार्यालय पत्रॉक–3688/14–1,दिनॉक–03–06–2016 जो आपको सम्बोधित एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0 प्र0 लखनऊ सहित अन्य को पृष्ठांकित है, द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनॉक 26–05–2016 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–07 एंव 28 के अनुपालन में आगणित धनराशि कैम्पा खाते मे जमा कर RTGS स्लिप की प्रति तथा RTGS से सम्बन्धित Authorization No. सम्बन्धित बैंक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित पत्र के बिन्दु सं0–7 मे वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) दर रु0–626000.00 के स्थान पर भूलवश रु0–657000.00 टंकित हो गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) धनराशि रू0–**51,182.00** व 100 पौधो का रोपण एंव रोपित पौधो का 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0–**17,000.00** धनराशि की अलग अलग RTGS स्लिप की प्रति तथा RTGS से सम्बन्धित Authorization No. सम्बन्धित बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। साथ ही साथ सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0–1 से लगायत 6 तक तथा 8 से लगायत 26, 29 व 30 के समस्त बिन्दुवार शर्तो के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(वी0के0सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक,
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

संख्या............................/उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को इस कार्यालय पत्रॉक–3688/14–1,दिनॉक–03–06–2016 के कम मे उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक,लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

(वी0के0सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक,
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

G:\FCA-1980\BPCL 27-06-2016.doc